न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

…–पत्र नम्बर 82/2025
…न रवि जाखड बनाम राजोदेवी वगैरा
…ना – पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए

1. रवि जाखड पुत्र श्री बृजलाल जाखड जाति जाट निवासी संगरिया।

प्रार्थी

बनाम

1. राजोदेवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
2. सुभाष पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया।
3. तहसीलदार, राजस्व संगरिया।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री संतोष गोदारा– अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुनील नैण – अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:आदेश:– **दिनांक :–** 24.10.2025

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खेत चक 6 एनजीआर खाता संख्या 138/116 व खाता संख्या 137/153 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी को प्रार्थना पत्र वर्णित चक 6 एनजीआर के खाता संख्या 142/12 के प.न. 165/217 मु.न. 1 किला नं. 19,18,17,24,25 अप्रार्थीगण की कब्जाकाश्त भूमि में डाली गई भूमिगत पाईप लाईन को विधिक स्वीकृति प्रदान किये जाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता बिना कोई प्रतिफल के अपना राजीनामा प्रस्तुत कर प्रश्नगत पाईप लाईन की स्वीकृति हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपने पत्रांक 1939 दिनांक 11.09.2025 द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी सुभाष पाईप लाइन मन्जूर हेतु अपनी सहमति देना एव प्रार्थी की पाईप लाईन मन्जूर करना आवश्यक होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई। जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार राजस्व संगरिया की मौका जांच रिपोर्ट तथा पत्रावली में अन्य दस्तावेजात का भली–भाति अवलोकन किया गया। अत प्राथी की मांग/सिचाई सुविधा एवं अप्रार्थीगणों की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए पाईप लाइन की स्वीकृति जारी करने का आदेश निम्न शर्त पर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के अन्दर होना आवश्यक है अन्य कृषकों को असुविधा नही हों।

प्रार्थी प्राकृतिक कारणों से हुई किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग नही करेगा।

शर्तो की उल्लघंन पर पाईप लाईन की स्वीकृति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।

प्रार्थी द्वारा डाली गई पाईप लाईन लिकेज होने पर प्रार्थी लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगा।

यदि बीच में कोई रास्ता/खाला हो तो उसको कोई नुकसान नही पहुंचे तथा रास्ता में कभी भी आवागमन में बाधा नही हो और पाईप लाईन डालते/लिकेज सही करते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए स्वीकार कर उक्त शर्तो की पालना के आधार पर प्रार्थी को चक नं. 6 एनजीआर के प.नं. 165/217 मु.नं. 1 के किला नं 19,18,17,24,25 में 3 फीट गहराई में सिंचाई के लिये पाईप लाईन की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। तथा संबंधित भूमि के समस्त काश्तकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी की सिचाई सुविधा हेतु भूमिगत डाली गई सिंचाई पाईप लाईन मे किसी प्रकार की कोई बाधा/नुकसान कारित नही करेंगें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जांवें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया